कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.09.2024

विषयः-मारपीट, धमकी, छेड़खानी व लूट करने वाले अभियुक्तगण को थाना बड़ागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 05/09/2024 को थाना बड़ागांव पर वादी द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि मैं अपने परिवार के साथ (समय लगभग 7.30 PM) अपने बैगनआर (UP 65.9909) से जा रहा था कि वाजिदपुर रिंग रोड चौराहे के पास ट्रक संख्या MP 19 HA 7858 ने मेरे वाहन को पीछे से टक्कर मार दिया। वाहन में मेरी माता जी, पत्नी व मेरे बच्चे बैठे थे। उसके बाद वहां पर मौजूद वाजिदपुर के लालमन यादव व उनके भाई मूलचन्द यादव, कल्लू यादव व इनका छोटा भाई, लालमन का बड़ा भाई (बाल्टा वाला) और अन्य लोग गिरोह बनाकर वादी के ऊपर प्राण घातक हमला कर दिये तथा पत्नी के साथ छेडखानी करने लगे तथा पत्नी का चेन, व माता जी का चेन और हमारे एक मित्र छवि सिंह का चेन छीन कर तथा वाहन में रखा समान लेकर भाग गये । उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा मु0अ0स0- 0255/2024 धारा 281,191(2),115(2),74,309(4),351(2)(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2024 को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण लालमन यादव पुत्र स्व0 सामा यादव उम्र लगभग 54 वर्ष व मूलचन्द यादव पुत्र सामा यादव निवासीगण ग्राम वाजिदपुर, थाना बडागांव, कमि0 वाराणसी उम्र करीब 41 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. लालमन यादव पुत्र स्व0 सामा यादव, नि0 ग्राम वाजिदपुर, थाना बडागांव, कमि0 वाराणसी उम्र करीब 54 वर्ष।
2. मूलचन्द यादव पुत्र सामा यादव, नि0 ग्राम वाजिदपुर, थाना बडागांव, कमि0 वाराणसी उम्र करीब 41 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0- 0255/2024 धारा 281,191(2),115(2),74,309(4),351(2)(3) बीएनएस थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

आपराधिक इतिहास

1. लालमन यादव

- मु0अ0सं0– 529/2017 धारा 147/323/427/447/452/504/506 भादवि व 3(1)(z),(1)(घ) एससी एसटी एक्ट थान बडागांव
- मु0अ0स0- 386/2022 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम थाना बडागांव कमि0 वाराणसी

2. मूलचन्द यादव

- मु0अ0स0- 0235/2020 धारा 147/323/506 भादवि थाना बडागांव कमि0 वाराणसी
- मु0अ0स0- 768/2017 धारा 147/323/427/452/504/506 भादवि थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

उ0नि0 शिवानन्द सिसौदिया, चौ0प्र0 हरहुआ, थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी।
हे0का0 सुरेश विश्वकर्मा, थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी।
का0 विवेक सिंह, थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी।
का0 पंकज कुमार सिंह, थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी।